रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED NO. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1977/भाद्र, 19, 1899

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1977/BHADRA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1167.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सतर्कता आयोग वर्ग 3 पद (कर्मचारिवृन्द की भर्ती) नियम, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग समूह 'ग' पद (कर्मचारिवृन्द की भर्ती) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

Name of Ship	Distinctive Number or Letters	Port of Registry	Gross Tonnage	Date on which keel was laid (See Note below)

NOTE :—It will be sufficient to indicate the year in which the keel was laid, or in which the ship was at a similar stage of construction, except for the year of the coming into force of the Special Trade Passenger Ships Agreement 1971 in which case the actual date should be given. In the case of a ship which is converted as provided in Rule 2(14) of the Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 the date on which the work of conversion was begun should given.

SPACE AVAILABLE FOR ACCOMMODATION OF SPECIAL TRADE PASSENGERS

	Number of special trade passengers permitted on voyage			
Location of Space	Less than 24 hours	24 hours and over but less than 72 hours	72 hours and over	Existing ships only 24 hours and over but less than 48 hours in seasons of fair weather

This is to certify that the ship has been surveyed and the spaces shown above have been found to comply with the relevant requirements of the Special Trade Passenger Ships (Space Requirements) Rules, 1973, and to be adequate for the accommodation of the numbers of special trade passengers indicated.

This certificate is valid until.......... .19...............

Issued at...

(Place of issue of certificate)

...........19........

(Date of issue.)

....

(Signature)

Principal Officer

Mercantile Marine Department,

If signed, the following paragraph is to be added :

The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government to issue this certificate

....

(Signature)

Principal Officer,

Mercantile Marine Department.".

[F. No. 5-MS R(6)/77-MA]

SMT. B. NIRMAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1977

सा०का०नि 1184.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रमसंख्या 1 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के नीचे नोट के पैरा (2) में, 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फाइल सं० ए-12018 (5)/76-बी (ए)]

एम० एल० टंडन अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 16th August, 1977

G.S.R. 1184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, against serial No. 1 in paragraph (2) of Note below the entries in Column 12, for the words "two years", the words "three years" shall be substituted.

[F. No. 12018(5)/76-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1977.

सा०का०नि० 1185.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा दण्डकारण्य परियोजना के मेकेनिकल संगठन में (वर्ग ग के पदों पर) भर्ती नियम,